प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 5270/2023

आदेश सुरक्षित किया गया : 11.3.2025

आदेश पारित किया गया : 28.3.2025

1 – हिंछाराम साहू, पिता स्वर्गीय केजूराम, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम – डोकला, तहसील – चारामा, जिला – कांकेर, छत्तीसगढ़।

2 – चैन सिंह, पिता मंत्रीराम, उम्र लगभग 54 वर्ष, भृत्य के पद पर पदस्थ, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चारामा, जिला – उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – आयुक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 – सहायक आयुक्त, जनजाति विकास शाखा, कांकेर, जिला–कांकेर, छत्तीसगढ़।

4 – कलेक्टर, कांकेर, जिला–कांकेर, छत्तीसगढ़।

5 – जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

6 – सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

..... उत्तरवादीगण

(वाद शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता

राज्य/उत्तरवादियों के लिए : श्री अजीत सिंह, शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद

सी. ए. वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता दिनांक 18.7.2023 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके तहत उत्तरवादी क्रमांक 5 ने पदोन्नति के लिए उनके दावे को यह कारण बताते हुए खारिज कर दिया है कि उन्हें दिनांक 23.6.2022 के आदेश के तहत नियमित किया गया था और इस तरह उन्होंने अपने नियमितीकरण के बाद 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है। याचिकाकर्ताओं का प्रकरण यह है कि उन्हें दिनांक 8.9.2008 को ही नियमित कर दिया गया था, हालांकि, उत्तरवादी क्रमांक 5 ने अवैध और मनमाने तरीके से इस पर विचार नहीं किया है। याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं और इस तरह वे निम्नलिखित अनुतोष की मांग कर रहे हैं:

> " 10.1 यह माननीय न्यायालय कृपया एक उचित रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की कृपा करें, जिससे दिनांक 18.07.2023 (अनुलग्नक पी/1) के आक्षेपित आदेश को निरस्त/रद्द किया जा सके और साथ ही उत्तरवादी अधिकारियों को विधि के अनुसार वर्ग–III में पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर विचार करने का निर्देश दिया जाये।
>
> 10.2 यह कि, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिका के व्यय के भुगतान सहित कोई अन्य अनुतोष/आदेश जो उचित और न्यायसंगत समझा जाए, दिया जाये।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 की नियुक्ति दिनांक 25.8.1995 को हुई थी जबकि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 की नियुक्ति दिनांक 24.3.1995 के आदेश द्वारा हुई थी। नियुक्ति के समय दोनों के पास मैट्रिकुलेशन की योग्यता थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमादेवी (3) एवं अन्य, (2006) 4 एससीसी 1** के प्रकरण में पारित निर्णय के आधार पर राज्य सरकार ने दिनांक 5.3.2008 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें राज्य सरकार ने 10 वर्ष से अधिक समय तक लगातार कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश दिया है। सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, कांकेर के कार्यालय में नियुक्त याचिकाकर्ताओं को विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर दिनांक 8.9.2008 के आदेश द्वारा नियमित किया गया था। तत्पश्चात चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर पदोन्नति हेतु सूची तैयार की गई, किन्तु उक्त सूची में याचिकाकर्ताओं के नाम नहीं थे तथा वर्ष 2015 में नियुक्त समान पद के कर्मचारियों के नाम सम्मिलित कर दिए गए, जबकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1995 में ही अस्थायी आधार पर हुई थी तथा तत्पश्चात उनकी सेवाओं को दिनांक 8.9.2008 के आदेश द्वारा नियमित कर दिया गया था। इस प्रकार के भेदभाव से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2694/2017 के रूप में याचिका दायर की, जिसमें इस न्यायालय ने दिनांक 27.6.2017 के आदेश द्वारा उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर विचार

करने तथा उनकी पदोन्नति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा बदले में प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की शिकायत का निवारण करते हुए उनके अभ्यावेदन पर विचार करने तथा निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। यहां इस तथ्य का उल्लेख करना उचित है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया है, तथापि, उनके अभ्यावेदन पर विचार करने और उन्हें पदोन्नति प्रदान करने के बजाय, दिनांक 20.4.2019 और 14.6.2021 के आदेशों के अनुसार, अन्य भृत्यों को पदोन्नति प्रदान की गई। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 10.7.2023 के आदेश के तहत उत्तरवादी क्रमांक 5 को याचिकाकर्ताओं के प्रकरण पर विचार करने और उनकी पदोन्नति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया क्योंकि उस समय तक याचिकाकर्ताओं की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 1.2.2015 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में विलय कर दी गई थीं। इन सभी घटनाक्रमों के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने उत्तरवादी क्रमांक 5 को एक क्रमोन्नति सूची तैयार करने और याचिकाकर्ताओं को क्रमोन्नति सूची और पदोन्नति नियमों में उनके स्थान के अनुसार पदोन्नत करने का निर्देश दिया है। हालांकि, उत्तरवादी क्रमांक 5 ने याचिकाकर्ताओं के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 23.6.2022 को नियमित किया गया था और इस तरह उन्होंने पदोन्नति देने के लिए 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, जो कि अपने आप में अवैध है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 5.3.2008 के परिपत्र के आधार पर 8.9.2008 को नियमित किया गया था और उन्होंने लगभग 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है जो कि वर्ग–III के पद पर उनकी पदोन्नति के लिए पर्याप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.7.2023 का आक्षेपित आदेश अनुचित, अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण है और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के प्रावधानों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी क्रमांक 1 विभाग के अंतर्गत दिनांक 8.9.2008 के आदेश द्वारा पहले ही नियमित किया जा चुका है, लेकिन उत्तरवादी क्रमांक 5 के अवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण रवैये के कारण याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है और याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, जो अपने आप में अवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी क्रमांक 1 के अंतर्गत दिनांक 8.9.2008 के आदेश द्वारा पहले ही नियमित किया जा चुका है और इसलिए उन्हें स्थायी पेंशन खाता क्रमांक (पीपीएएन) आवंटित किया गया है और नियमितीकरण की तिथि से भविष्य निधि की राशि भी काट ली गई है। याचिकाकर्ता सहायक ग्रेड–III के पद पर पदोन्नति पाने के लिए अपेक्षित योग्यता रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 1 विभाग के अधीन 28 वर्षों तक बिना पदोन्नति का एक भी मौका प्राप्त किए काम किया है, जो विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है। दिनांक 20.04.2019 और 14.06.2021 के आदेशों द्वारा जिला कोंडागांव में

कार्यरत भृत्यों को सहायक ग्रेड–III के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति के प्रकरण पर विचार करने के बजाय, दिनांक 06.07.2022 के आदेश द्वारा, उत्तरवादी क्रमांक 5 ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए एक आदेश जारी किया है, जबकि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को पहले ही दिनांक 08.09.2008 के आदेश द्वारा नियमित किया जा चुका है। कांकेर जिले में भी पदोन्नति कोटे के तहत सहायक ग्रेड–III के पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन उत्तरवादी अधिकारी याचिकाकर्ताओं के सहायक ग्रेड–III के पद पर पदोन्नति के दावे पर विचार नहीं कर रहे हैं।

4. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ताओं की सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित कर ली गई थीं, इसलिए उनकी पूर्व सेवा को उनकी पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए गणना करने की आवश्यकता नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का बहुत सावधानी से अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1995 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, परिपत्र दिनांक 5.3.2008 के आधार पर दिनांक 8.9.2008 के आदेश द्वारा उनकी सेवाओं को नियमित किया गया। इस प्रकार उत्तरवादी क्रमांक 5 का यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं को दिनांक 23.6.2022 को नियमित किया गया, स्पष्ट रूप से अवैध है। एक बार जब याचिकाकर्ताओं को दिनांक 8.9.2008 को नियमित कर दिया गया, तो इस प्रकार उन्होंने पहले ही 15 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है और केवल स्कूल शिक्षा विभाग में उनकी सेवाओं को शामिल करने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी पदोन्नति के लिए पर्याप्त सेवा अवधि पूरी नहीं की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार कहा है कि पदोन्नति सेवा की अनिवार्यता है और जब भी आवश्यक हो नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह पदोन्नति प्रदान करने के लिए कर्मचारियों के प्रकरण पर विचार करे। ठहराव को ऐसी चीज माना जाता है जिसके कारण कर्मचारी का प्रदर्शन और दक्षता प्रभावित होती है। जब भी नियमों में पदोन्नति के अवसर होते हैं, तो अधिकारी कर्मचारियों की पात्रता के अनुसार पदोन्नति के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होते हैं। वर्तमान प्रकरण में भी याचिकाकर्ता सभी प्रकरणों में पदोन्नति के हकदार हैं। इसी तरह के अन्य कर्मचारियों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी क्रमांक 5 को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से पदोन्नति नहीं दी गई। याचिकाकर्ताओं के बाद नियमित किए गए कर्मचारी, अर्थात् तुलसीराम उइके, जिन्हें 11.9.2008 को नियमित किया गया था, को पदोन्नति दी गई है। इसी तरह, चैन सिंह यादव, रुद्र प्रताप सिंह को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है।

7. कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समान अवसर सुनिश्चित करने वाला एक मौलिक अधिकार है।

8. **मेजर जनरल एच.एम. सिंह, वीएसएम बनाम भारत संघ, (2014) 3 एससीसी 670** में इसी तरह के निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के समक्ष यह प्रश्न उठा था कि क्या अपीलकर्ता के दावे पर विचार न करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भेदभावपूर्ण उल्लंघन होगा। माननीय न्यायाधीशों ने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया है। माननीय न्यायाधीशों ने आगे कहा है कि अपीलकर्ता को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि दिनांक 1.1.2007 को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रिक्ति होने के समय अपीलकर्ता के पास 14 महीने की सैनिक सेवा शेष थी। माननीय न्यायाधीशों ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> "28. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता के दावे पर विचार न करने से उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होगा, बशर्ते कि उत्तरवादी दिनांक 1.1.2007 को उपलब्ध होने पर लेफ्टिनेंट जनरल के पद की रिक्ति को भरने के इच्छुक थे। जवाबी शपथ–पत्र में दर्शाई गई तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है कि उत्तरवादी वास्तव में उक्त रिक्ति को भरने के इच्छुक थे। प्रकरण के उपरोक्त दृष्टिकोण से, यदि अपीलकर्ता सेवारत सबसे वरिष्ठ मेजर जनरल था (जो निस्संदेह था), तो उसे निश्चित रूप से उपरोक्त रिक्ति के विरुद्ध विचार किए जाने का मौलिक अधिकार था, और यदि उसे उपयुक्त माना जाता तो पदोन्नत किए जाने का मौलिक अधिकार भी था। ऐसा न करने पर, उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा विस्तारित कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के अपने मौलिक अधिकार से वंचित किया जाएगा। हमारा विचार है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित मौलिक अधिकार का लाभ बढ़ाने के लिए, उन्हें दो अवसरों पर सेवा में विस्तार की अनुमति दी गई थी, सबसे पहले दिनांक 29.2.2008 के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, और उसके बाद दिनांक 30.5.2008 के एक और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि अपीलकर्ता को सेवा में उपरोक्त विस्तार तीन महीने की अवधि के लिए (और एक महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए) या एसीसी की मंजूरी तक, जो भी पहले हो, दिया गया था। उपरोक्त आदेशों द्वारा, उत्तरवादियों ने अपीलकर्ता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की, ताकि उसे लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति का सम्मान प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, (यदि चयन बोर्ड द्वारा उनके पक्ष में की गई सिफारिश को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था), पुष्टि की जाती है। अपीलकर्ता को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए उचित विचार से वंचित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने में अधिकारियों की कार्यवाही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगी। उत्तरवादियों द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही निस्संदेह मनमानी होगी।"

9. इस प्रकार, इस प्रकरण में उत्तरवादी क्रमांक 5 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं की पदोन्नति के प्रकरण पर विचार करें और उनकी पदोन्नति के संबंध में उचित आदेश पारित करें। याचिकाकर्ता दिनांक 30.4.2025 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, इसलिए उनकी पदोन्नति हेतु प्रक्रिया उनकी सेवानिवृत्ति से पहले इस आदेश की एक प्रति प्रस्तुत करने से 15 दिनों की अवधि के भीतर पूरी किया जाये ताकि उन्हें उनकी पदोन्नति का लाभ मिल सके तथा पेंशन और अन्य सेवा हितों का परिणामी लाभ भी उनकी पदोन्नति के आधार पर गणना किया जा सके।

10. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**